न्यायालय जिला कलक्टर, दौसा
पीठासीन अधिकारी : देवेन्द्र कुमार
आई0ए0एस0

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

निगरानी याचिका सं0 01/2009
1. रामसहाय पुत्र पाँचू
2. सोनी राम पुत्र पाँचू
3. रामपाल पुत्र पाँचू
4. हजारी पुत्र नानगा
जाति मीणा निवासी मानपुरिया कोठया ढाणी, तहसील दौसा

...निगरानीकर्ता

बनाम

1. ग्यारसी लाल पुत्र नानगराम जाति मीणा निवासी मानपुरिया कोठया ढाणी, तहसील दौसा
2. ग्राम पंचायत प्यारीवास तहसील दौसा जरिये सरपंच ग्राम पंचायत प्यारीवास तहसील दौसा ।

...निगरानीकर्ता

निगरानी विरुद्ध संकल्प सं0 10 दिनांक 5.11.2004 ग्राम पंचायत प्यारीवास व उक्त प्रस्ताव के तहत अप्रार्थी सं0 1 को जारी पट्टा दिनांक 5.11.2004

उपस्थित : 1. श्री विनोद कुमार विजय, अधिवक्ता निगरानीकार।

—:: निर्णय ::— दिनांक: 30.4.2025

1. संक्षिप्त में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार हैं कि निगरानीकर्तागण द्वारा ग्राम पंचायत प्यारीवास द्वारा जारी पट्टा दिनांक 5.11.2004 को निरस्त करने हेतु यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।
2. निगरानी याचिका दर्ज रजिस्टर की गई। अप्रार्थीगण की तलबी की गई। ग्राम पंचायत प्यारीवास से मूल अभिलेख तलब किया गया।
3. सर्वप्रथम दफा 05 मियाद अधिनियम पर अधिवक्ता निगरानीकर्तागण की बहस सुनी गई। अधिवक्ता निगरानीकर्तागण ने कथन किया कि संकल्प सं0 10 दिनांक 5.11.2004 एवं उक्त संकल्प के तहत ग्राम पंचायत प्यारीवास द्वारा अप्रार्थी सं0 1 को जारी पट्टा दिनांक 5.11.2004 की प्रार्थीगण को कोई जानकारी नहीं थी। प्रार्थी रामपाल दिनांक 19.1.2009 को मौके पर स्कूल के पास बने हुए रास्ते में होकर जा रहा था कि अप्रार्थी नं0 1 ने धमकी दी कि उक्त रास्ते को बंद करूंगा। उक्त रास्ते का मैने पट्टा बनवा लिया है तब प्रार्थी रामपाल ने अप्रार्थी सं0 1 से पूछा कि तुम्हारे पास पट्टा कहाँ से आया तो उसने बताया कि मैने ग्राम पंचायत से पट्टा बनवा रखा है। तब ग्राम पंचायत में जानकारी करने पर पता चला कि अप्रार्थी नं0 1 ने रास्ते की भूमि स्कूल फील्ड की भूमि एवं बहु कीमती भूमि का दिनांक 5.11.2004 को प्रस्ताव पारित कर और ग्राम पंचायत प्यारीवास से दिनांक 5.11.2004 को अप्रार्थी नं0 1 ने पूर्व पश्चिम 53 फिट उत्तर दक्षिण 60 फिट भूमि का पट्टा ले रखा है। तब उक्त पट्टे एवं प्रस्ताव की नकल दिनांक 21.1.2009 करे ग्राम पंचायत में आवेदन पेश किया तो ग्राम पंचायत ने पट्टे की नकल दे दी एवं प्रस्ताव की नकल नहीं दी तब सर्वप्रथम उक्त पट्टे व प्रस्ताव की जानकारी हुई। इससे पूर्व कोई जानकारी पट्टे एवं प्रस्ताव के संबंध में जानकारी नहीं थी। निगरानी जानकारी से अंदर मियाद पेश की जा रही है। अतः दफा 05 मियाद अधिनियम पेश कर निवदेन है कि निगरानी को पेश करने में हुई देरी को क्षमा कर निगरानी अंदर मियाद शुमार फरमाई जावे। अधिवक्ता निगरानीकार की मियाद के बिन्दु पर एकतरफा बहस सुनी गई। प्रा0पत्र एवं शपथ पत्र का

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 11:30:38 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर,दौसा

अवलोकन किया गया। निगरानीकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी जानकारी से अंदर मियाद पेश की गई है। अतः डिले कन्डोन किया जाकर निगरानी की सुनवाई किया जाना न्यायोचित है। अतः धारा 5 कानून मियाद स्वीकार किया जाता है।

4. तत्पश्चात मूल निगरानी पर अधिवक्ता निगरानीकर्ता की बहस सुनी गई। अधिवक्ता निगरानीकार ने निगरानी याचिका में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम पंचायत प्यारीवास ने पंचायत नियम एवं पंचायत एक्ट की अवहेलना करके विधि विरूद्ध तरीके से आम रास्ते की भूमि एवं बहुकीमति ग्राम पंचायत की एवं स्कूल फील्ड की भूमि का अवैध तरीके से बिना प्रक्रिया अपनाये बिना व बिना कोई जॉच किये बिना दिनांक 5.11.04 को संकल्प सं. 10 पारित करके और अप्रार्थी नम्बर 1 को पूर्व पश्चिम 53 फिट उत्तरदक्षिण 60 फिट का पटटा जारी कर दिया। जिसकी प्रार्थी को कतईजानकारी नही थी। अतः ग्राम पंचायत प्यारीवास के संकल्प सं. 10 दिनांक 5.11.04 एवं उक्त संकल्प के तहत अप्रार्थी नम्बर 1 को दिनांक 5.11.04 को जारी पटटा के खिलाफ श्रीमान के समक्ष निगरानी पेश की जा रही है। निर्णय अधीनस्थ न्यायालय विधि विरूद्व प्रक्रिया नियमो के विपरीत होने के कारण निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने पंचायत नियमो की अवहेलना करके बिना आपत्ति नोटिस निकाले बिना व बिना आपत्ति नोटिस . की तामील कराये बिना व बिना कोई जॉच किये बिना विधि विरूद्व तरीके से मिलीभगत से उक्त निर्णय पारित किया है अतः निर्णय अधीनस्थ न्यायालय निरस्तनीय है। जिस भूमि का पटटा जारी किया है वह भूमि आम रास्ते की है स्कूल फील्ड की एंव बहूकीमति भूमि है। अधीनस्थ न्यायालय ने ऐसी भूमि का मिलीभगत से झूठे आधारो पर पटटा जारी किया है अतः निर्णय अधीनस्थ न्यायालय निरस्तनीय है। उक्त भूमि पर कभी भी अप्रार्थी नम्बर 1 का कब्जा नहीं रहा। ना ही अप्रार्थी नम्बर 1 का अब कब्जा है अप्रार्थी नम्बर 1 ने झूठे आधारों पर उक्त निर्णय पारित करवाया है। अतः निर्णय अधीनस्थ न्यायालय निरस्तनीय है। अतः निगरानी मंजुर फरमाई जाकर सकल्प सं. 10 दिनांक 5.11.04 ग्राम पंचायत प्यारीवास एवं उक्त प्रस्ताव के तहत अप्रार्थी नम्बर 1 को जारी पटटा दिनांक 5.11.04 को निरस्त फरमाया जावे।

5. गैर निगरानीकार सं0 1 व 2 के बाद तामील अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

6. अधिवक्ता निगरानीकारान की एकतरफा बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

7. पत्रावली के अवलोकन से यह ज्ञात होता है कि ग्राम पंचायत प्यारीवास द्वारा संकल्प सं0 10 दिनांक 5.11.2004 के द्वारा अप्रार्थी सं0 1के पक्ष में कुल 354 वर्गगज का पट्‌टा जारी किया गया है। पत्रावली में संलग्न ग्राम पंचायत के अभिलेख से यह सिद्ध होता है कि अप्रार्थी सं0 1 को जारी पट्‌टा 53 गुणा 60 फीट का जारी किया गया है जिसके पूर्व में खेल मैदार रा.प्रा.वि. कोद्‌या अंकित किया हुआ है। साथ ही ग्राम पंचायत प्यारीवास की मूल पत्रावली में संलग्न आबादी भूमि के प्रस्तावित विक्रय के संबंध में आक्षेप आमंत्रित करने का नोटिस जारी किया गया है जो कि खाली है जिससे यह सिद्ध नहीं होता है कि उक्त नोटिस किस दिनांक को एवं किस व्यक्ति को पट्‌टा जारी करने हेतु नोटिस जारी किया गया है। साथ ही बयान फार्म [illegible] अंकित है लेकिन कोई इबारत लिखी हुई नहीं है। इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत के फैसले पर भी सरपंच, ग्राम पंचायत प्यारीवास की सील लगी हुई है लेकिन [illegible] के हस्ताक्षर अंकित नहीं है, जिसे विधिसम्मत नहीं माना जा सकता है। ग्राम पंचायत द्वारा विधिक प्रक्रिया का पालन किये बिना अप्रार्थी सं0 1 के पक्ष में पट्‌टा जारी किया गया है जिसे हम निरस्त किये जाने योग्य समझते है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 11:30:38 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

जिला कलेक्टर, दौसा

8. उपरोक्त विवेचन के आधार पर निगरानीकारान द्वारा प्रस्तुत निगरानी आंशिक स्वीकार की जाती है। ग्राम पंचायत प्यारीवास द्वारा पारित संकल्प 10 दिनांक 5.11.2004 एवं उसके आधार पर जारी पट्टा दिनांक 5.11.2024 जो अप्रार्थी सं0 1 के पक्ष में जारी किया गया है को निरस्त किया जाकर प्रकरण ग्राम पंचायत प्यारीवास को इस आशय से रिमांड किया जाता है कि निगरानीकारान द्वारा उठाई गई आपत्तियों एवं इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के प्रकाश में उभयपक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर प्रदान कर पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष दिनांक 23.5.2025 को ग्राम पंचायत प्यारीवास में सुनवाई हेतु उपस्थित होवें। अधीनस्थ ग्राम पंचायत का मूल अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ लौटाय जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ठ लेख भंडार हो।

(देवेन्द्र कुमार)
जिला कलेक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांकः 30 अप्रेल, 2025 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया। इस निर्णय की अपील नियत समयावधि के अंदर सक्षम न्यायालय में की जा सकेगी।

(देवेन्द्र कुमार)
जिला कलेक्टर, दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified

Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 11:30:38 IST
Reason: SelfAttested